राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, (एनएचएम)

स्वास्थ्य भवन, कमरा नं0 – 214, द्वितिय तल, सी–स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

No. F. 20 ( )/NRHM/HRD/2016/ 177 Date: 10/02/16

बिड आमंत्रण सूचना

बिड संख्या 01/2015–16

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत सीनियर कार्यक्रम सहायक, कार्यक्रम सहायक, सहायक कर्मचारी, एक्जीक्युटिव एसिसटेन्ट कम डाटा एण्ट्री आपरेटर, वाहन चालकों एवं सुरक्षा गार्ड की सेवाओ हेतु निर्धारित योग्यताधारी एवं अनुभवी कार्मिकों की सेवाओं की आपूर्ति सेवा प्रदाता एजेन्सीज के माध्यम से एक वर्ष के लिये परियोजना में स्वीकृत राशि के अनुरूप समेकित पारिश्रमिक पर एजेन्सी द्वारा भुगतान कराने के उपरान्त उसका पुर्नभरण कराते हुए उस पर एजेंसी द्वारा लिये जाने वाले सेवा शुल्क के लिए सीलबन्द निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

निविदा कार्य की अनुमानित लागत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रपत्र ब्रिकी की तिथि	निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
4.30 लाख	500/–का बैंकर चैक/ डिमान्ड ड्राफ्ट	29.02.2016 प्रातः 11.00 बजे तक	29.02.2016 दोपहर 3.00 बजे तक	29.02.2016 सायं 05.00 बजे

निविदा शुल्क रू0 500/– का बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट निविदा के साथ राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी जयपुर के पक्ष में संलग्न करना होगा। अन्य शर्ते निविदा प्रपत्र में अंकित है। बिड सूचना विभागीय बैबसाईट www.rajswasthya.nic.in व डीआईपीआर की वेबसाईट पर भी प्राप्त की जा सकती है।

(नवीन जैन)
विशिष्ठ शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक,एनएचएम

राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति (एनएचएम), राजस्थान, जयपुर

राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति (एनएचएम), राजस्थान, जयपुर के तहत प्लेसमेन्ट एजेन्सी से विभिन्न कार्मिकों की सेवाऐं लेने हेतु निविदा

निविदा प्रपत्र

मूल्य : 500/– रुपये

अवधि : एक वर्ष

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 29.02.2016 को दोपहर 3:00 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक 29.02.2016 को सायं 5.00 बजे

स्थान : परियोजना निदेशक, एनएचएम,
कमरा नं0–214, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
सी स्कीम, जयपुर

राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति (एनएचएम), राजस्थान, जयपुर

राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति (एनएचएम), राजस्थान, जयपुर के तहत सेवा प्रदाता एजेन्सी से विभिन्न कार्मिकों की सेवायें लेने हेतु निविदा

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूरा पता–

....

....

(टेलीफोन नं0 अवश्य अंकित करें)

2. (अ) ठेका श्रमिक (नियमन एवं उल्मुलन) अधिनियम 1970 / राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 के तहत
फर्म के रजिस्ट्रेशन नं.:–
मान्यता अवधि (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें):–
(ब) सेवा कर हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (यदि लागू हो तो)
संभाग से पंजीयन संख्याः
मान्यता अवधिः
(पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति व फर्म के द्वारा अंतिम रिटर्न व जमा चालान की सत्यापित प्रति भी संलग्न करें)
(स) फर्म / एजेन्सी / संस्थान का पैन नं0 :–
(पैन कार्ड की सत्यापित प्रति संलग्न करे)

3. फर्म के कार्यः–

4. अनुभवः– (विवरण देवें तथा प्रमाण पत्र संलग्न करें)
एकल कार्यादेश मैं 100 से ज्यादा कार्मिकों की सेवा उपलब्ध करवाने का अनुभव ....

5. वित्तीय टर्नओवर — राशि
2013–2014 ....
2014–2015 ....
(आयकर विवरणी अथवा अंकेक्षित लेखे संलग्न करने होंगे।)

6 वित्तिय टर्नओवर 60 लाख या उससे अधिक — हॉ / नही

7. निविदा शुल्क की रकम राशि रुपये 500/–(पांच सौ रुपये) बैंकर्स चैक/डीडी संख्या/पोस्टल आर्डर सं0................ दिनांक ....द्वारा संस्थान में जमा करा दी गई हैं। राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान अनुसार संलग्न एनेक्जर ए,बी,सी एवं डी पर सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा सहमति के रूप में हस्ताक्षर कर संलग्न है।

8. **Fall Clause**:– निविदादाता निविदा दरों को प्रस्तुत कराते समय सुनिश्चित कर लेवें कि उनके द्वारा अन्य किसी विभाग में निविदा प्रपत्र में अंकित दरों से कम दरों पर कार्य नही किया जा रहा है।

9. **Pre Clarification** :– निविदादाता को निविदा शर्तो के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिये तो वे कार्यालय समय में कमरा नं0 206 द्वितिय तल, स्वास्थ्य भवन, जयपुर में सम्पर्क कर सकते है।

10. **Late Bid** :– निविदा निधार्रित तिथि, समय एवं निर्दिष्ठ स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर डाक / व्यक्तिशः प्राप्त होने पर स्वीकार नही कि जावेगी।

11. **Right to Vary Quantity** :– निविदा एक वर्ष हेतु मान्य होगी। अवधि समाप्ति उपरान्त कार्य अवधि को 50 प्रतिशत तक आपसी सहमति से बढाया जा सकता है।

12. **Dividing Quantities**:– कार्य की जटिल प्रवृति होने अथवा फर्म की कार्यक्षमता उपयुक्त नही होने पर निविदा कार्य को राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम–74 के अन्तर्गत एक से अधिक फर्मो के मध्य न्यूनतम दर पर सहमति लेकर कराया जा सकता है।

13. निविदा सूचना संख्या क्रमांक ....दिनांक .... जो विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों के द्वारा जारी की गई हैं, मैं, /हम वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्ते जो संलग्न पृष्ठों में दी गई हैं, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरुप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं, का भी पालन करने के लिए मैं/हम सहमत हूं/हैं।

14. उक्त निविदा के साथ संविदा की शर्तो के अनुसार अमानत राशि रुपये............................ (रुपये.... ....मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक संख्या ....दिनांक .... बैंक का नाम ....को राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसाइटी, जयपुर के पक्ष में देय हैं, संलग्न हैं।

15. **हम अपनी सेवा शुल्क दरें "सेवा शुल्क दर प्रपत्र– "अ " में अंकित करते हैं।**

16. निविदादाता एकल स्वामित्व की फर्म हैं अथवा साझेदारी ? ....

17. एकल स्वामित्व हैं तो स्वामी का नाम व पता ....

18. साझेदारी की स्थिति में साझेदारों के नाम व पते.. ....

19. निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत व्यक्ति का नाम व पता तथा उसकी फर्म में स्थिति ....

20. इस निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षरित व्यक्ति के अलावा यदि कोई भविष्य में पत्र व्यवहार करें तो उस व्यक्ति का नाम व पता एवं हस्ताक्षर तथा उसकी फर्म में स्थिति अंकित करें।

....

....

निविदादाता के हस्ताक्षर
मोहर व पता सहित

प्रपत्र– "अ "

राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति (एनएचएम), जयपुर
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

सेवा शुल्क दर प्रपत्र–'अ'

फर्म का नाम व पताः–...

कार्य का नामः– कार्मिक सेवाओं के लिए सेवा शुल्क दर।

कार्य की अनुमानित लागत (वार्षिक) :– 158.00 लाख
निविदा की अनुमानित लागत (वार्षिक) :– 4.30 लाख **(निविदा सेवा शुल्क हेतु जारी की गई)**

आपूर्ति सेवाओं के कार्य का विवरण

क्र. सं.	आपूर्ति की जाने वाली सेवा का नाम	अनुमानित कार्मिक	निर्धारित न्यूनतम योग्यता
1	2	3	4
1.	सीनियर कार्यक्रम सहायक	01	स्नातक, कम्प्यूटर का ज्ञान (अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा में स्टैनो का कार्य) 80 श0 प्र0 मि0 की गति से हिन्दी एवं अग्रेंजी में टंकण करने की योग्यता व 2 वर्ष का किसी संस्थान में कार्य का अनुभव।
2	कार्यक्रम सहायक	14	स्नातक, कम्प्यूटर का ज्ञान 80 श0 प्र0 मि0 की गति से हिन्दी एवं अग्रेंजी में टंकण करने की योग्यता व लिपिकिय कार्य का 2 वर्ष का किसी संस्थान में कार्य का अनुभव।
3	एक्जीक्युटिव एसिसटेन्ट कम डाटा एण्ट्री आपरेटर	70	स्नातक, कम्प्यूटर का ज्ञान 80 श0 प्र0 मि0 की गति से हिन्दी एवं अग्रेंजी में टंकण करने की योग्यता एवं पत्रावली संधारण, कार्यालय कार्य का ज्ञान (Computer along with trained personnel)
4.	सहायक कर्मचारी सपोर्ट स्टॉफ	50	आठवीं पास
5	वाहन चालक	07	10वी पास, लाइट मोटर व्हीकल का वैध लाइसेंस सहित 03 वर्ष का वाहन चालन का कार्यानुभव
6	सुरक्षा गार्ड	16	10वी पास, विदआउट आर्मस

सेवा शुल्क दर –

उपरोक्तानुसार कार्मिकों को देय मानदेय की मासिक राशि पर प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा सेवा शुल्क की प्रतिशत में दरें अंकों व शब्दों में अंकित की जावे:–

प्रतिशत दर ....% प्रति माह (शब्दों में) . ...% प्रति माह (अंको में)

अन्य कोई सेवा कर की देयता प्रभावी नियमों के अनुसार फर्म के द्वारा रजिस्ट्रेशन व अंतिम प्रस्तुत रिर्टन की प्रति के आधार पर देय होगी। फर्म के द्वारा वर्तमान सेवा कर की प्रभावी दर .... % है।

नोटः–

1. क्रम संख्या 3 पर अंकित एक्जीक्युटिव एसिसटेन्ट कम डाटा एण्ट्री आपरेटर कर्मी को निम्न श्रेणी का कम्पयुटर, प्रिण्टर एवं यूपीएस कार्य स्थल पर रखना अनिवार्य है:–
   Computer :- Intel Core i3/ Equivalent AMD based computer or higher speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB Ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office. Responsibility of software license will be borne by the contractor.
   Printer :- Black and White laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.
   UPS :- Online/Offline UPS for above Computer and printer with 30 minutes battery backup.
2. निविदा में अंकित दरों की वैधता तीन माह के लिए होगी। इस अवधि में वार्षिक आधार पर अनुबंध किया जा सकेगा।
3. क्रम संख्या 3 पर उल्लेखित सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का सेवा शुल्क निविदा शर्तो के अनुसार नही लिया जावेगा।
4. निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने पर सहमति प्रदान करता हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय नाम
व पूरा पता रबर स्टाम्प सहित

(5)

राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति (एनएचएम), राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
सी–स्कीम, जयपुर–302005

राज्य स्वास्थ्य समिति (एन.एच.एम.) राजस्थान, जयपुर के तहत विभिन्न शाखाओं/विभागों में सीनियर कार्यक्रम सहायक, कार्यक्रम सहायक, सहायक कर्मचारी, एक्जीक्युटिव एसिसटेन्ट कम डाटा एण्ट्री आपरेटर, वाहन चालकों एवं सुरक्षा गार्डो की सेवाऐं सेवा प्रदाता एजेन्सी से लेने हेतु निविदा की शर्ते

1. एन.एच.एम. में आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु देय सेवा शुल्क एवं देय सेवाकर की दरें मांगी जाती हैं। कार्मिकों को निविदादाता द्वारा राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। दरों का अंकन निविदा प्रपत्र में अंको और शब्दों दोनों में पेन–स्याही से होना चाहिए। इसमें कोई त्रुटी एवं/या उपरी लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रुप से अंकित की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। शुल्क का अंकन नही होने अथवा सशर्त प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. मिशन न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताए रद्द करने का पूर्ण अधिकार मिशन को होगा।
3. निविदा दाताओं को निविदा सूचना में दिये गए निर्देशानुसार निविदा उचित रुप से लिखकर मोहरबन्द लिफाफे में बन्द करके लिफाफे पर " **सीनियर कार्यक्रम सहायक, कार्यक्रम सहायक, एक्जीक्युटिव एसिसटेन्ट कम डाटा एण्ट्री आपरेटर, सहायक कर्मचारी, वाहन चालकों एवं सुरक्षा गार्ड की सेवाओं हेतु निविदा प्रपत्र**" अंकन के साथ कोने पर निविदा दाता अपना पूर्ण पता लिखेंगे। अनुबंधित कार्मिकों को प्रतिमाह अनुमानित मानदेय निम्न प्रकार से भुगतान एजेंसी के माध्यम से विभागीय निर्देशो पर किया जाना संभावित होगा जो कि परियोजना हेतु पीआईपी में स्वीकृत दरों के अध्याधीन होगा जिसे अनुबंध अवधि में तदानुसार घटाया जा बढाया जा सकेगा।

<u>निर्धारित कार्मिको को देय पारिश्रमिक प्रति माह जिनके लिये सेवाऐं चाही गयी है</u> :–

	(पारिश्रमिक दरें सेवा कर रहित)
• सीनियर कार्यक्रम सहायक	रू. 26300/– प्रति माह
• सहायक कार्यक्रम सहायक	रू. 12600/– प्रति माह
• **<u>एक्जीक्युटिव एसिसटेन्ट कम डाटा एण्ट्री आपरेटर,</u>**	**रू. 8500/– प्रति माह***
• सहायक कर्मचारी (सर्पोट स्टॉफ)	रू. 5565/– प्रति माह
• वाहन चालक	रू. 8105/– प्रति माह
• सुरक्षा गार्ड विदआउट आर्मस	रू. 7500/– प्रति माह

उपरोक्तानुसार दिये जाने वाली निर्धारित पारिश्रमिक दरो में <u>(*) एक्जीक्युटिव एसिसटेन्ट कम डाटा एण्ट्री आपरेटर हेतु अंकित पारिश्रमिक दर पर एजेन्सी को किसी प्रकार का सेवा शुल्क देय नही होगा।</u>

4. फर्म जिनका पिछले वर्ष का वित्तिय टर्नओवर 60 लाख या उससे अधिक का हो एवं एक कार्या आदेश मैं 100 से ज्यादा कार्मिकों की सेवा उपलब्ध करवाने का अनुभव रखते हैं, को प्राथमिकता दी जावेगी।
5. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा दाता को बयाना राशि (Earnest Money) के रुप में निविदा राशि का अनुमान **का 2 प्रतिशत राशि रूपये 8600/– अक्षरे रूपये आठ हजार छः सौ मात्र राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसाइटी, जयपुर के पक्ष** में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के रुप में जमा करानी होगी। निविदा/अस्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि मिशन द्वारा लौटा दी जाएगी।

6. निविदा सीलबंद लिफाफे में दिनांक 19.02.2016 को दोपहर 03.00 बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय में जमा कराई जा सकती हैं। इसके पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. निविदाएं, विभाग में इस हेतु गठित क्रय समिति के समक्ष अथवा परियोजना निदेशक द्वारा दिनांक 19.02.2016 को सायं 5.00 बजे खोली जावेंगी। जिसमें निविदाकर्त्ता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
8. निविदादाता फर्म को राजस्थान श्रम विभाग से ठेका श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम, 1970/राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से सेवा कर के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। विगत दो वर्षो का आयकर विवरणी अथवा अंकेक्षित लेखे एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। निविदादाता फर्म के पास आयकर विभाग का **PAN** नम्बर होना चाहिए।
9. अपूर्ण एवं वांछित सूचनाओं के अभाव में निविदाओं को निरस्त/रद्द कर दिया जाएगा।
10. सेवा आपुर्तिकर्त्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वे विभिन्न पदों हेतु निर्धारित योग्यताधारी होने चाहिए।
11. निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तो के विपरीत अंकित की गई कोई भी अतिरिक्त शर्त मिशन को मान्य नहीं होगी। निविदा में दरों के साथ भी कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
12. निविदादाता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरुप हस्ताक्षर करेगा। निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस बात को दर्शायेगें कि निविदादाता ने सभी शर्तो को पढ़ लिया हैं एवं समझ लिया हैं। अतः निविदादाता को चाहिए की सभी शर्तो को पढ़कर समझ ले। यदि किसी भी प्रकार से स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में एनएचएम के सक्षम अधिकारी से मिलकर प्राप्त कर सकते हैं।
13. बयाना (Earnest Money) का समपहरण (Forefiting) निम्न स्थितियों में किया जा सकेगा।
    - अ) जब निविदादाता निविदा खोलने के पश्चात् (किन्तु निविदा की स्वीकृती के पूर्व) निविदा वापस ले लेता हैं या प्रस्ताव को (मोडिफिकेशन) रुपान्तरित करता हैं।
    - ब) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हैं।
    - स) जब आदेश दिए जाने के पश्चात् नियत समय में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हैं।
    - द) जब निर्धारित समय में अनुबन्धित कार्मिको की व्यवस्था करने में विफल रहता हैं।
14. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाता को 500/– रुपये के नोन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मिशन द्वारा निर्धारित प्रारुप में अनुबन्ध करना पड़ेगा। अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबन्धकर्त्ता को कार्मिकों को देय एक माह के पारिश्रमिक की राशि का 5 प्रतिशत की राशि बतौर प्रतिभूति राशि के रुप में राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसाइटी, जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक/बैंक गारंटी के रुप में जमा करानी पड़ेगी। यह राशि अनुबन्ध के संतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने पर दो माह उपरान्त वापिस लौटा दी जाएगी। इस राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। बयाना राशि को इसमें समायोजित किया जावेगा।
15. करार पत्र पूर्ण किए जाने तथा स्टॉम्प पेपर के व्यय का निविदादाता द्वारा भुगतान किया जाएगा और एनआरएचएम को करार का स्टॉम्प युक्त प्रतिलेख निशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा।
16. जो व्यक्ति/श्रमिक/कार्मिक लगाए जाएगें उन्हे राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एन.एच.एम.) के कार्यालय में प्रातः 09:30 बजे से पूर्व उपस्थित होना होगा एवं सायंकाल 06:00 बजे तक या कार्य पूर्ण होने तक रुकना होगा।
17. सेवाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले (कार्मिक) व्यक्तियों को मिशन निदेशक एन.एच.एम एवं इनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के निर्देशानुसार कार्यालय में कार्य करना होगा।
18. यदि सेवा संबन्धित कार्य हेतु कार्मिक की सेवाओं की उक्त समय से पूर्व या पश्चात् अथवा राजपत्रित अवकाश के दिन आवश्यकता पड़ती हैं तो उन्हें तदानुसार उपस्थित होकर सेवा प्रदान करनी होगी। इसके लिए मिशन द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
19. सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों (कार्मिक) का कार्य यदि संतोषजनक नहीं होगा तो मिशन निदेशक (एनएचएम) या उसके निर्दिष्ट अधिकारी के निर्देश पर सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था को तत्काल उसके स्थान पर समकक्ष योग्यताधारी एवं अनुभवी अन्य व्यक्ति उपलब्ध कराना होगा।

20. सेवा आपूर्तिकर्त्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गए व्यक्तियों का चाल–चलन अच्छा होना चाहिए एवं उनके कार्य / चरित्र के संबंध में निविदादाता पूर्ण उत्तरदायी होगा। उपलब्ध कराये गये कार्मिकों/व्यक्तियों को सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर आई.डी. देना होगा। ताकि मिशन को सेवाकर्मी के बारे में ज्ञान रहे। उपलब्ध कार्मिकों के द्वारा किसी भी प्रकार का सरकारी सम्पत्ति का नुकसान करने की दशा में क्षतिपूर्ति सेवा प्रदाता को करनी होगी।
21. सेवा आपूर्तिकर्त्ता एजेन्सी के अधिकृत प्रतिनिधि को जब कभी भी वार्ता हेतु कार्यालय बुलाया जाए तो उसे उपस्थित होना होगा। उपस्थित नहीं होने पर अनियमितता मानी जावेगी।
22. उपलब्ध कराये गए व्यक्तियों (कार्मिकों) में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सेवा आपूर्तिकर्त्ता एजेन्सी की होगी।
23. अनुबन्ध से पूर्व-निविदादाता द्वारा सेवाओं के उक्त पदों हेतु उपयुक्त अभ्यार्थियों की सूची (योग्यता एवं अनुभव अंकित करते हुए) प्रस्तुत करनी होगी। जिन व्यक्तियों हेतु एनएचएम द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी उन व्यक्तियों की ही सेवाएं अनुबंधकर्त्ता द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
24. अनुबन्धकर्त्ता फर्म को दिया गया कॉन्ट्रेक्ट,वह किसी अन्य एजेन्सी अथवा फर्म को नहीं सौंप सकेगा अर्थात् सबलेट नहीं कर सकेगा।
25. अनुबंध प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे आपसी सहमति से अधिकतम छः माह तक बढ़ाया जा सकेगा।
26. I. फर्म के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबंधकर्त्ता फर्म द्वारा मिशन को लिखित में दी जाएगी किन्तु उन परिस्थितियों में भी विभाग से हुए अनुबन्ध के संबंध में अनुपालना के दायित्व से मूल अनुबन्धकर्त्ता को विमुक्त नहीं किया जा सकेगा।
II. संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रुप में स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वे संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रुप से उन्मुक्ति (डिस्जार्च) होगी।
27. सेवा आपूर्तिकर्त्ता एजेन्सी द्वारा प्रतिदिन समय पर व्यक्तियों (कार्मिकों) के उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में अनुपस्थित दिनों का पारिश्रमिक अनुपातिक रुप से काट लिया जाएगा तथा तीन दिवस तक लगातार अनुपस्थित रहने पर पारिश्रमिक की कटौती साथ ही दस प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त कटौती होगी। विशेष परिस्थितियों में यदि अन्यत्र कहीं से व्यक्तियों को लेकर कार्य करवाया जाता हैं तो इस हेतु किए गए अधिक भुगतान की वसूली निविदादाता से की जाएगी।
28. सेवा आपूर्तिकर्त्ता एजेन्सी द्वारा एनएचएम को उपलब्ध करायी गई कार्मिकों की सेवाओं का बिल प्रत्येक माह की तीन तारीख तक मिशन निदेशक, एन.एच.एम. के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
29. सेवा आपूर्तिकर्त्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराए गए (कार्मिकों) व्यक्तियों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था को ही दिया जाएगा।
30. उपलब्ध कराये गए व्यक्तियों (कार्मिकों) को पूर्ण भुगतान का दायित्व सेवा आपूर्तिकर्त्ता एजेन्सी का होगा। उक्त कार्मिकों को भुगतान की गई राशि से आयकर टी.डी.एस. काटने का दायित्व आपूर्तिकर्त्ता एजेन्सी का होगा।
31. टी.डी.एस. आयकर/अन्य कर की राशि प्रदाता मासिक बिल में काटकर नियमानुसार जमा कराई जाएगी तथा जिसकी रसीद निर्धारित प्रपत्र में एनएचएम द्वारा सेवाप्रदाता को दी जाएगी।
32. प्रतिभूति राशि का निम्न परिस्थितियों में समपहरण किया जा सकता हैं।
   अ) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तो को उल्लंघन किया जाता हैं।
   ब) जब निविदादाता संतोषप्रद रुप से सेवाएं देने में विफल रहता हैं।
   स) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में मिशन का निर्णय अन्तिम होगा।
33. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्मिको की व्यवस्था / उनका कार्य, व्यवहार, चरित्र एनएचएम की अपेक्षा अनुरुप संतोषजनक न होने की स्थिति में एनआरएचएम को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध को किसी भी समय समाप्त कर दें।

34. उपलब्ध कराए गए कार्मिको की पी.एफ/ई.एस.आई कटौती, बीमा एवं श्रमिक अधिनियम की पालना करने का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
35. उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों की सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
36. कर्मियों के मासिक भुगतान की राशि उनकी वास्तविक उपस्थिति एवं संतोषप्रद रुप से कार्य संपन्न किए जाने के आधार पर आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा कार्मिको को पारिश्रमिक भुगतान पश्चात प्राप्ति रसीद एवं भुगतान किये गये चैक का पूर्ण विवरण बिल के साथ संलग्न करने पर वास्तविक भुगतान राशि का पुर्नभरण आपूर्तिकर्ता फर्म को संतोषप्रद रुप से कार्य संपन्न किए जाने पर चैक से अदा की जावेगी तथा वसूलियां, यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जाएगा।
37. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मिशन निदेशक, एन.एच.एम. का निर्णय अन्तिम होगा।
38. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (एनएचएम व निविदादाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही प्रस्तुत की जाएगी।
39. आपूर्ति किए गये सभी कार्मिक निविदादाता के 'पे रोल' पर होंगे तथा राज्य सरकार/एनएचएम में नियुक्ति का उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा। यह सभी कार्मिकों को सूचित करने का दायित्व निविदादाता संस्था का होगा।
40. सेवा प्रदाता के द्वारा कार्य संतोषप्रद नहीं कराये जाने की दशा में फर्म की सेवायें 15 दिवस तक में नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।
41. राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के नियमो के प्रावधान इस निविदा शर्तो का भाग माने जावेंगें।
42. निविदा के निर्णय के संबंध में राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अपील की स्थिति में प्रथम अपीलान्ट अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य होगें तथा द्वितिय अपील अधिकारी हेतु सक्षमता बोर्ड में निहित रहेगीं।
43. निविदा प्रपत्र व सेवा शुल्क प्रपत्र के साथ संलग्न Annuxure - A, B, C व D पर भी फर्म को हस्ताक्षर कराते हुए प्रस्तुत करानी है।

हस्ताक्षर निविदादाता
(मय नाम, पूरा पता एवं रबर स्टाम्प सहित)

निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न चैक लिस्ट

बिड संख्या 01/2015–16

क्र0 सं0	निविदा दस्तावेज	पृष्ठ संख्या
01	निविदा प्रपत्र	
02	निविदा शुल्क	
03	अमानता राशि	
04	श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाणत्र की सत्यापित प्रति	
05	आयकर विवरणी (एच्छिक)	
06	पैन संख्या	
07	अनुभव प्रमाण पत्र	
08	राजकीय विभागो द्वारा जारी एकल आदेश पत्र जिसमें फर्म द्वारा 100 से अधिक कार्मिक उपलब्ध कराए है।	
09	वार्षिक टर्न ओवर के प्रमाण पत्र	
10	अन्य	

हस्ताक्षर निविदादाता
(मय नाम, पूरा पता एवं रबर स्टाम्प सहित)

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc I

Signature of bidder
Name
Designation
Adress

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Principal Secretary MH & FW

The designation and address of the Second Appellate Authority is Executive Committee NRH

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc I

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....
....
....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.